न्यायालय अति. जिला कलक्टर कलक्टर, कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. सत्यवीर यादव
आर.ए.एस

रैफरेन्स प्रार्थना–पत्र संख्या :– 16/2019

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कोटपूतली जिला जयपपुर (राज.)

बनाम

1. कैलाश पुत्र गणपत
2. बिमला पुत्री गणपत
3. सुन्दरी पुत्री गणपत
4. लाली पुत्री गणपत
5. हन्सा पत्नि गणपत
6. ओमप्रकाश पुत्र गणपत
   समस्त जाति धानका निवासी खेडकी मुक्कड तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)
7. ब्रिजमोहन पुत्र रामनिवास जाति मीणा निवासी पावटा तहसील पावटा जिला जयपुर (राज)

रैफरेन्स प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 82 एल.आर एक्ट 1956

निर्णय दिनांक 11.3.2020

यह रैफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के द्वारा रेफरेन्स एल. आर/2012/4098/जयपुर सरकार बनाम कैलाश वगैरह व अन्य में पारित निर्णय 20/02/2019 रिमाण्ड होकर इस न्यायालय हाजा को इस निर्देश के साथ प्रकरण लोटाया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण का मूल आवंटन/नियमन पत्रावली का पूर्ण परिक्षण करने के उपरान्त अप्रार्थीगण को सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान कर आवश्यक होने पर पुनः रेफरेन्स मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करें, जिसके साथ आवंटन/नियमन की पत्रावली की संलग्न की जावें ।

1. प्रकरण में सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार कोटपूतली ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम खेडकी मुक्कड के आराजी हाल ख.नं. 166/0.20 जिसके साबिक खसरा नम्बर 542 तहसील कोटपूतली की आराजी राजकीय सिवायचक भूमि है एवं भूमि की किस्म गैर मुमकिन नदी/नाला/जोहड /तालाब है। उपरोक्त आराजी को विधि विरूद्व अप्रार्थीगण के नाम भूमि की किस्म परिवर्तन कर अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज कर दी गयी, जो नियम विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
2. तहसीलदार कोटपूतली द्वारा उक्त रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय हाजा में पूर्व में दिनांक 05/4/2008 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रकरण संख्या 145/2008 दर्ज कर प्रकरण में दिनांक 18/5/2008 को उभयपक्षों की बहस सुनकर एवं पत्रावली का अवलोकन कर तथा तथ्यों पर गौर कर निर्णय पारित किया गया कि ख.नं. 166/0.20 हैक्टर वाके मौजा खेडकी मुक्कड तहसील कोटपूतली की भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी से हटाई जाकर पुनः भूमि राजकीय खाते में आवंटन/नियमन से पूर्व की स्थिति बहाल की जावे यानि भूमि राजकीय खाते में गैर मुमकिन नाला दर्ज की जावे । तहसीलदार कोटपूतली को आदेश दिये जाते है कि वह ऐसे समस्त परिवर्तनों की तीन–तीन प्रतियां तैयार कर उक्त भूमि के सिवायचक गै.मु. नाला दर्ज करने की स्वीकृति हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाया जावें।
3. माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक रेफ./एल. आर/2012/4098/जयपुर दिनांक 05/8/2019 के संलग्न निर्णय दिनांक 25/02/2019 को प्रकरण रिमाण्ड कर आदेश दिये गये है कि प्रस्तुत प्रकरण का मूल आवंटन/नियमन की पत्रावली का पूर्ण परिक्षण कर अप्रार्थीगण को सुनवायी का अवसर प्रदान कर आवश्यक होने पर पुनः रेफरेन्स मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करें।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

4. रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तल्ब किया गया बावजूद सूचना एवं तामील होने के उपरान्त अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 06 उपस्थित नहीं आयें। इसलिए उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। तहसीलदार कोटपूतली को इस न्यायालय हाजा के पत्रांक 4/कोर्ट/दिनांक 16/1/2020 के द्वारा ग्राम खेडकी मुक्कड के साबिक ख.नं. 542 से बने हाल ख.नं. 166/0.20 हैक्टर किस्म नदी नाला जोहड तालाब की भूमि किस आदेश नामान्तरकरण तथा आवंटन/नियमन से अप्रार्थीगण के नाम से खातेदारी दर्ज हुयी है। उक्त दस्तावेजात् के साथ अपना जवाब आगामी तारीख से पूर्व प्रेषित करने बाबत लिखा गया ।

5. प्रार्थी ब्रिज मोहन पुत्र रामनिवास जाति मीणा निवासी पावटा तहसील पावटा द्वारा एक प्रार्थना–पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी जरिये अधिवक्ता दिनांक 22/01/20 को पेश किया जिसे संलग्न पत्रावली किया गया। उक्त प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनी गयी। प्रार्थी ब्रिज मोहन मीणा की ओर से अधिवक्ता का कथन है कि ख.नं. 166/0.20 हैक्टर तत्कालीन खातेदार कैलाश वगैरह से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र से प्रार्थी ब्रिज मोहन ने उक्त सम्पूर्ण आराजी को कय किया है, जिसका नामान्तरकरण भी राजस्व रिकॉर्ड में खुल चुका है। प्रार्थी काबिज काश्तकार मालिक होकर मौके पर फसल काश्त कर रखी है। प्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार होने के उपरान्त भी प्रार्थी को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है जबकि प्रार्थी आवश्यक पक्षकार है। प्रकरण में उक्त प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनी जाकर न्यायहित में प्रार्थी को आवश्यक पक्षकार संयोजित किया जाना उचित समझते है। इसलिए प्रार्थी ब्रिज मोहन पुत्र रामनिवास मीणा निवासी पावटा तहसील पावटा को अप्रार्थीगण के खाने में आवश्यक पक्षकार संयोजित करने के आदेश प्रदान किये जाते है।

6. वकील अप्रार्थी संख्या 07 की ओर से जरिये वकील जवाब दिनांक 22/01/2020 पेश किया जिसे संलग्न पत्रावली किया गया। प्रस्तुत किया गया जवाब में तथ्य इस प्रकार से पेश किये है कि प्रार्थी मूल खातेदार कैलाश वगैरह से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र से खरीद किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन होकर खातेदार काश्तकार मालिक है। राज्य सरकार तहसीलदार ने प्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार होने के बावजूद भी पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसलिए पक्षकार को सुनवायी का अवसर प्रदान किये बिना प्रकरण में निर्णय पारित किया जाना उचित एवं न्याय संगत नहीं है। तहसीलदार द्वारा रेफरेन्स प्रस्तुत करते समय किसी न्यायालय के आदेश आवंटन नियमन इत्यादि को चुनौती नहीं दी गयी है जबकि एल.आर एक्ट 82 के अन्तर्गत ऐसे आदेशों को ही चुनौती दी जा सकती है।

प्रार्थी ग्राम खेडकी मुक्कड तहसील कोटपूतली के आ.ख.नं. 166/0.20 हैक्टर रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि किस्म आरानी प्रथम है। प्रार्थी की उक्त भूमि खरीदशुदा है। मौके के अनुसार उक्त भूमि पर किसी प्रकार की नदी नाले तालाब पेटा जोहड इत्यादि नहीं है जो भूमि काश्त योग्य एवं बारानी प्रथम किस्म की है। मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2037–56 एवं इससे पूर्व लगभग 50 वर्ष से रिकॉर्ड में भी उक्त भूमि किस्म बारानी प्रथम है। माननीय उच्च न्यायालय सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 में पारित निर्णय 02/8/2004 ब उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार के अनुसार माननीय न्यायालय द्वारा स्पष्ट यह कहा गया है कि नदी नाले तालाब जोहड इत्यादि के बहाव क्षेत्र में किसी प्रकार की रूकावट पैदा ना हो किसी प्रकार का निर्माण नहीं हो। प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि से किसी प्रकार की नदी नाले तालाब जोहड इत्यादि के बहाव क्षेत्र या इसके आस–पास के क्षेत्र से कोई रूकावट नहीं आती है जबकि प्रार्थी द्वारा मनमर्जी एवं विधि विरूद्ध जाकर उक्त रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र पेश किया है। अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में किस आदेश आवंटन/नियमन तथा किस माध्यम से खातेदारी दर्ज हुयी है। उक्त आदेशों की प्रमाणित प्रतियां भी रेफरेन्स प्रस्तुत करते समय पेश नहीं की है यह सही है कि धारा 16 आर.टी एक्ट के तहत् भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर परिपत्र जारी कर कृषि भूमियों को आवंटन किये जाने के प्रावधान किये जाते है। यदि उक्त प्रकरण में भूमि का आवंटन हुआ है तो आवंटन नियम 1970 के नियम (4) के तहत् आवंटन को निरस्त कराये जाने की कार्यवाही प्रार्थी तहसीलदार द्वारा करायी जानी चाहिए थी केवल जमाबंदी में हुये राजस्व रिकॉर्ड का अंकन को हटाये जाने का निवेदन किया है जो रेफरेन्स स्वीकार योग्य नहीं है। अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय अनुसार 15 अगस्त (1947) की पूर्व की स्थिति बहाल किये जाने के आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा

अति. जिला कलक्टर (...) कोटपूतली

पारित किये है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में ऐसे कोई जमाबंदी रिकार्डेड दस्तावेजात् इत्यादि प्रार्थी तहसीलदार द्वारा पेश नहीं किये जिससे साबित हो सके की उक्त भूमि नदी नाले तालाब पेटा जोहडा की रही हो। उक्त रिकॉर्ड के अभाव में उक्त रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नहीं है यदि उक्त भूमि आवंटन/नियमन हुयी है या नामान्तरकरण या न्यायालय के आदेश से खातेदारी दर्ज हुयी है तो इसकी प्रमाणिकता में मूल पत्रावली भी प्रार्थी तहसीलदार को पेश करनी चाहिए थी किन्तु तहसीलदार द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजात् प्रस्तुत नहीं किया जो साबित हो सके कि उक्त भूमि नदी/नाले/तालाब/जोहड की रही हो इस प्रकार उक्त प्रस्तुत किया गया रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य एवं अस्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः जवाब प्रार्थना–पत्र रेफरेन्स 82 एल.आर एक्ट 1956 प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त रेफरेन्स अपूर्ण होने, आवंटन/नियमन, नामान्तरकरण, न्यायालय आदेश इत्यादि या पत्रावली का नहीं होना, 15 अगस्त 1947 का कोई राजस्व अभिलेख जामबंदी का नहीं होना मौके पर भूमि काश्त योग्य होना तथा भूमि कि किस्म नदी नाले ना होकर बारानी प्रथम होना इत्यादि से तथा प्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार होते हुए भी पक्षकार संयोजित नहीं करने आदि से उपरोक्त रेफरेन्स खारिज योग्य है। अतः उक्त रेफरेन्स को खारिज फरमावें।

7. वकील अप्रार्थी संख्या 7 की बहस एक तरफा सुनी गयी। वकील अप्रार्थी संख्या 7 द्वारा प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अप्रार्थी संख्या 07 ने मूल खातेदार कैलाश वगैरह अप्रार्थीगण से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र से उक्त भूमि खरीद की है। ग्राम खेडकी मुक्कड तहसील कोटपूतली के ख.नं. 166/0.20 हैक्टर भूमि खरीद कर काबिज खातेदार काश्तकार है जिसकी किस्म बारानी प्रथम है। मौके पर उक्त भूमि किसी प्रकार के नदी नाला तालाब पेटा जोहड इत्यादि की नहीं है जबकि उक्त भूमि काश्त योग्य भूमि है जिसकी किस्म बारानी प्रथम है। मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2037–56 एवं इससे पूर्व लगभग 50 वर्ष के रिकॉर्ड को उक्त भूमि की किस्म बारानी प्रथम है। उक्त भूमि में किसी प्रकार का निर्माण नहीं है तथा ना ही नदी नाले तालाब जोहड इत्यादि के बहाव क्षेत्र में किसी प्रकार की रूकावट पैदा होती है। माननीय उच्च न्यायालय सिविल रिट ब उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में अपने निर्णय में 15 अगस्त 1947 के पूर्व की स्थिति बहाल किये जाने के आदेश प्रदान किये है। माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों की पालना में प्रार्थी तहसीलदार द्वारा जमाबंदी या रिकॉर्डेड दस्तावेजात् पेश नहीं किये है जिससे साबित हो सके कि उक्त भूमि नदी नाले की है। वकील अप्रार्थी संख्या 7 द्वारा इसके अलावा यह भी कथन किया है कि तहसीलदार कोटपूतली द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है। उक्त रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र में यह भी अंकित नहीं किया गया है कि अप्रार्थीगण के नाम से वर्तमान जमाबंदी में जो खातेदारी का अंकन किया है वह भूमि अप्रार्थीगण के नाम से आवंटन/नियमन अथवा किस माध्यम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकित की गयी है। आवंटन/नियमन आदेश की प्रमाणित प्रति रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है। प्रकरण में आवंटन/नियमन को चुनौती दिये बिना अप्रार्थीगण के नाम दर्ज खातेदारी का अंकन को हटाये जाने का कोई अधिकार नहीं है। तहसीलदार कोटपूतली को रेफरेन्स प्रकरण के सम्बन्ध में वांछित दस्तावेजात् पेश करने हेतु एवं इस सम्बन्ध में जवाब पेश करने हेतु लिखा गया था । काफी अवसर दिये जाने के उपरान्त भी रेफरेन्स प्रस्तुतकर्त्ता तहसीलदार कोटपूतली की ओर से कोई दस्तावेजात् एवं जवाब पेश नहीं हुआ है। इससे यह प्रमाणित होता है कि रेफरेन्स पूर्व में अपूर्ण पेश किया गया है । किसी निर्णय आदेश या कार्यवाही को अपास्त कराने का कोई अनुतोष तहसीलदार द्वारा नहीं चाहा गया है। इसलिए तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावें।

8. हमने अप्रार्थी संख्या 7 की ओर से जरिये अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् साक्ष्य एवं सबूतों का अवलोकन किया प्रार्थी तहसीलदार कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा हस्तगत रेफरेन्स एल.आर एक्ट 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत पेश किया गया है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के यहां से उक्त रेफरेन्स प्रकरण प्रति प्रेषित (रिमाड) होने पर पुनः दर्ज किया गया । तहसीलदार कोटपूतली को इस न्यायालय हाजा के पत्रांक 04 दिनांक 16/01/2020 के द्वारा वांछित दस्तावेजात् आवंटन/नियमन बाबत आदेश प्रकरण में पेश करने हेतु लिखा जाने पर कई मर्तबा अवसर तथा अन्तिम अवसर न्यायहित में दिये जाने के उपरान्त भी उक्त वांछित दस्तावेजात् आदेश इत्यादि पेश नहीं किये, किस आदेश से अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज हुयी है इस बाबत साक्ष्य सबूत मे साक्ष्य दस्तावेजात् तहसीलदार

अति. जिला कलक्टर कोटपूतली (जयपुर)

कोटपूतली द्वारा पेश नहीं किये गये। वकील अप्रार्थी संख्या 7 द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम खेडकी मुक्कड तहसील कोटपूतली के ख.नं. 166/0.20 हैक्टर मूल खातेदार कैलाश वगैरह से खरीद कर मौके पर काबिज काश्तकार है। वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 7 का नाम वर्तमान जमाबंदी में अंकन है। उक्त भूमि नदी नाला तालाब पेटा जोहड की नहीं है जिसकी किस्म बारानी प्रथम है। उक्त भूमि नदी नाले तालाब जोहड के बहाव क्षेत्र में रूकावट पैदा नहीं करती है। तहसीलदार कोटपूतली द्वारा 15 अगस्त 1947 के पूर्व की स्थिति बहाल किये जाने बाबत माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना में तत्समय का रिकॉर्ड एवं दस्तावेजात् पेश नहीं किये है जिससे उक्त भूमि नदी नाले की हो । इसके अलावा यह भी कथन किया है कि वर्तमान जमाबंदी में अप्रार्थी की खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त अंकन किस आदेश आवंटन/नियमन तथा किस माध्यम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकित की गयी है। उक्त आदेशों की प्रमाणित प्रतियां भी रेफरेन्स के संलग्न नहीं है जिस आदेशों से अप्रार्थी के नाम खातेदारी अंकित हुयी है उक्त आदेशों को चुनौती दिये बिना खातेदारी अधिकार हटाये जाने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावें। चूंकि जमाबंदी सम्वत् 2073–76 में ग्राम खेडकी मुक्कड तहसील कोटपूतली जिला जयपुर के आ.ख.नं. 166 रकबा 0.20 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम बृज मोहन पुत्र रामनिवास हिस्सा पूर्ण जाति मीणा साकिन पावटा के नाम राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के द्वारा पारित निर्णय 20/02/2019 के मुताबिक तहसीलदार को लिखे जाने तथा कई मर्तबा अवसर दिये जाने एवं न्यायहित में अन्तिम अवसर दिये जाने के उपरान्त भी वांछित दस्तावेजात् पेश नहीं किये है ना ही इस सम्बन्ध में जवाब पेश किया तथा अप्रार्थी के नाम किस आदेश से खातेदारी का अंकन हुआ है। उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति भी पेश नहीं की गयी जिस आदेश से प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज हुयी है। उक्त आदेश को चुनौती दिये बिना खातेदारी का अंकन हटाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ना ही आवंटन/नियमन सम्बन्धित मूल दस्तावेजात् आदि पेश किये है। इसलिए तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत किया गया रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 82 एल.आर एक्ट 1956 अपूर्ण पेश करने एवं पक्ष सिद्वी के अभाव में अस्वीकार कर खारिज किया जाना न्यायोचित एवं विधि सम्मत है।

9. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप हस्तगत रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र अपूर्ण होने एवं ठोस दस्तावेजात् के अभाव में तहसीलदार कोटपूतली द्वारा प्रस्तुत किया गया रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । उक्त आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार को कोटपूतली को तहरीर के साथ भिजवायी जावें।
10. यह निर्णय आज दिनांक 11.3.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

कोटपूतली द्वारा पेश नहीं किये गये। तहसील अप्रार्थी संख्या 7 द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम खेडकी मुक्कड तहसील कोटपूतली के ख.नं. 166/0.20 हैक्टर मूल खातेदार कैलाश वगैरह से खरीद कर मौके पर काबिज काश्तकार है। वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 7 का नाम वर्तमान जमाबंदी में अंकन है। उक्त भूमि नदी नाला तालाब पेटा जोहड की नहीं है जिसकी किस्म बारानी प्रथम है। उक्त भूमि नदी नाले तालाब जोहड के बहाव क्षेत्र में रूकावट पैदा नहीं करती है। तहसीलदार कोटपूतली द्वारा 15 अगस्त 1947 के पूर्व की स्थिति बहाल किये जाने बाबत माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना में तत्समय का रिकॉर्ड एवं दस्तावेजात् पेश नहीं किये है जिससे उक्त भूमि नदी नाले की हो । इसके अलावा यह भी कथन किया है कि वर्तमान जमाबंदी में अप्रार्थी की खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त अंकन किस आदेश आवंटन/नियमन तथा किस माध्यम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकित की गयी है। उक्त आदेशों की प्रमाणित प्रतियां भी रेफरेन्स के संलग्न नहीं है जिस आदेशों से अप्रार्थी के नाम खातेदारी अंकित हुयी है उक्त आदेशों को चुनौती दिये बिना खातेदारी अधिकार हटाये जाने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावें। चूँकि जमाबंदी सम्वत् 2073–76 में ग्राम खेडकी मुक्कड तहसील कोटपूतली जिला जयपुर के आ.ख.नं. 166 रकबा 0.20 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम बृज मोहन पुत्र रामनिवास हिस्सा पूर्ण जाति भीणा साकिन पावटा के नाम राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के द्वारा पारित निर्णय 20/02/2019 के मुताबिक तहसीलदार को लिखे जाने तथा कई मर्तबा अवसर दिये जाने एवं न्यायहित में अन्तिम अवसर दिये जाने के उपरान्त भी वांछित दस्तावेजात् पेश नहीं किये है ना ही इस सम्बन्ध में जवाब पेश किया तथा अप्रार्थी के नाम किस आदेश से खातेदारी का अंकन हुआ है। उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति भी पेश नहीं की गयी जिस आदेश से प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज हुयी है। उक्त आदेश को चुनौती दिये बिना खातेदारी का अंकन हटाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ना ही आवंटन/नियमन सम्बन्धित मूल दस्तावेजात् आदि पेश किये है। इसलिए तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत किया गया रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 82 एल.आर एक्ट 1956 अपूर्ण पेश करने एवं पक्ष सिद्वी के अभाव में अस्वीकार कर खारिज किया जाना न्यायोचित एवं विधि सम्मत है।

9. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप हस्तगत रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र अपूर्ण होने एवं ठोस दस्तावेजात् के अभाव में तहसीलदार कोटपूतली द्वारा प्रस्तुत किया गया रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । उक्त आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार को कोटपूतली को तहरीर के साथ भिजवायी जावें।
10. यह निर्णय आज दिनांक 11.3.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)